अध्याय– I

सामान्य

अध्याय– I : सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2011–12 के दौरान बिहार सरकार द्वारा सृजित कर एवं कर भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान राज्य को प्रदत्त विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध प्राप्ति में राज्य का हिस्सा एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तत्संबंधी आँकड़े नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	ब्योरे	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12
1.	**राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व**					
	• कर राजस्व	5,085.53	6,172.74	8,089.67	9,869.85	12,612.10
	• कर भिन्न राजस्व	525.59	1,153.32	1,670.42	985.53	889.86
	कुल	**5,611.12**	**7,326.06**	**9,760.09**	**10,855.38**	**13,501.96**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध प्राप्ति में हिस्सा	16,766.29	17,692.51	18,202.58	23,978.38	27,935.23
	सहायता अनुदान	5,831.67	7,962.12	7,564.16	9,698.56	9,882.98
	कुल	**22,597.96**	**25,654.63**	**25,766.74**	**33,676.94**	**37,818.21**
3.	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ[1] (1 एवं 2)**	**28,209.08**	**32,980.69**	**35,526.83**	**44,532.32**	**51,320.17**
4.	**3 से 1 की प्रतिशतता**	**20**	**22**	**27**	**24**	**26**

(श्रोतः वित्त लेखे, बिहार सरकार)

उपर्युक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2011–12 के दौरान राज्य सरकार ने विगत वर्ष के 24 प्रतिशत के विरूद्ध कुल राजस्व प्राप्तियों का 26 प्रतिशत राजस्व (₹ 13,501.96 करोड़) सृजित किया। वर्ष 2011–12 के दौरान प्राप्तियों का शेष 74 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त था। वर्ष 2010–11 के ₹ 10,855.38 करोड़ की अपेक्षा वर्ष 2011–12 के दौरान राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व (₹ 13,501.96 करोड़) में 24.38 प्रतिशत

---

[1] पूर्ण विवरण के लिए कृपया बिहार सरकार के वर्ष 2011–12 के वित्त लेखे में विवरणी संख्या–11– लघु शीर्ष राजस्व की विस्तृत लेखा देखें। मुख्य शीर्ष – 0020 निगम कर, 0021 – निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0032 – सम्पत्ति पर कर, 0037 – सीमा शुल्क, 0038 – संघीय उत्पाद शुल्क, 0044 – सेवा पर कर एवं 0045 – वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क – लघु शीर्ष – 901 – निबल प्राप्तियों में राज्य को समनुदिष्ट हिस्सा के अंतर्गत आँकड़े जो वित्त लेखा में क – कर राजस्व में दिखलाए गए हैं, को राज्य द्वारा सृजित राजस्व से हटाकर विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश में सम्मिलित कर इस विवरणी में दिखलाया गया है।

की समग्र वृद्धि मुख्य रूप से कर राजस्व में 27.78 प्रतिशत की वृद्धि एवं कर भिन्न राजस्व में 9.71 प्रतिशत की ह्रास के कारण हुई, जैसाकि कंडिका 1.1.2 एवं 1.1.3 में वर्णित है।

1.1.2 निम्न तालिका वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि में सृजित कर राजस्व के विवरण को दर्शाता है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	राजस्व शीर्ष	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	वर्ष 2010–11 की अपेक्षा 2011–12 में वृद्धि (+) या ह्रास (–) की प्रतिशतता
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,534.80	3,016.47	3,839.29	4,557.18	7,476.36	(+) 64.06
2.	राज्य उत्पाद	525.42	679.14	1,081.68	1,523.35	1,980.98	(+) 30.04
3.	मुद्रांक एवं निबंधन फीस						
	मुद्रांक न्यायिक	654.15	716.19	53.81	59.05	36.61	(+) 34.71
	मुद्रांक न्यायिकेत्तर			708.62	774.20	1,060.28	
	निबंधन फीस			235.47	265.43	383.18	
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	64.05	67.62	66.63	65.22	54.69	(–) 16.14
5.	वाहनों पर कर	273.21	297.74	345.13	455.43	569.13	(+) 24.97
6.	माल एवं यात्रियों पर कर	937.87	1,279.41	1,613.16	2,006.32	828.30	(–) 58.72
7.	आय एवं व्यय पर अन्य कर– पेशा, व्यापार, आजीविका एवं रोजगार पर कर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	29.56	लागू नहीं[2]
8.	भू–राजस्व	82.10	101.74	123.96	139.02	167.49	(+) 20.48
9.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	13.93	14.43	21.92	24.65	25.52	(+) 3.53
कुल		**5,085.53**	**6,172.74**	**8,089.67**	**9,869.85**	12,612.10	**(+) 27.78**

(श्रोतः वित्त लेखे, बिहार सरकार)

संबंधित विभागों ने वर्ष 2010–11 की तुलना में 2011–12 के दौरान कर राजस्व के संग्रहण में भिन्नता का निम्न कारण प्रतिवेदित किया:

बिक्री, व्यापार आदि पर कर : यह वृद्धि (64.06 प्रतिशत), अनुसूची III में शामिल वस्तुओं का कर दर चार से पाँच प्रतिशत तथा किसी भी अनुसूची में नहीं शामिल वस्तुओं का कर दर 12.5 से 13.5 प्रतिशत बढ़ाने के कारण हुई।

[2] प्रतिशतता की गणना नहीं की गई चूँकि यह पहला वर्ष है।

मुद्रांक एवं निबंधन फीस : यह वृद्धि (34.71 प्रतिशत), सम्पूर्ण राज्य के शहरी क्षेत्रों के न्यूनतम मूल्य पंजी को 1 अप्रैल 2011 से पुनरीक्षित किए जाने के कारण हुई।

माँगे जाने (मई एवं सितंबर 2012 के बीच) के बावजूद, अन्य विभागों ने भिन्नता का कारण सूचित नहीं किया (जनवरी 2013)।

1.1.3 निम्न तालिका वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि में सृजित कर भिन्न राजस्व के विवरण को दर्शाता है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	राजस्व शीर्ष	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	वर्ष 2010–11 की अपेक्षा 2011–12 में वृद्धि (+) या ह्रास (–) की प्रतिशतता
1.	ब्याज प्राप्तियाँ	170.71	304.57	353.27	237.96	573.70	(+) 141.09
2.	वानिकी एवं वन्य जीव	6.64	6.15	6.78	7.64	11.04	(+) 44.50
3.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	178.66	245.00	319.93	405.59	443.10	(+) 9.25
4.	विविध सामान्य सेवाएँ	3.02	385.82	770.28	0.34	(–)383.78	लागू नहीं[3]
5.	मध्यम सिंचाई	9.67	10.64	14.80	15.45	17.59	(+) 13.85
6.	चिकित्सा एवं लोक–स्वास्थ्य	21.07	17.25	14.08	15.33	23.91	(+) 55.97
7.	मत्स्य पालन	6.57	6.87	7.87	7.28	10.16	(+) 39.56
8.	पथ एवं पुल	17.95	26.40	30.02	39.60	60.35	(+) 52.40
9.	पुलिस	23.47	9.44	11.89	11.85	9.26	(–) 21.86
10.	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	12.00	8.09	9.42	19.98	11.49	(–) 42.49
11.	अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ	75.83	133.09	132.08	224.51	113.04	(–) 49.65
कुल		**525.59**	**1,153.32**	**1,670.42**	**985.53**	**889.86**	**(–) 9.71**

(श्रोत: वित्त लेखे, बिहार सरकार)

वर्ष 2011–12 के बिहार सरकार के वित्त लेखे के अनुसार, कर भिन्न राजस्व के संग्रहण में भिन्नता का कारण नीचे दिया गया है:

ब्याज प्राप्तियाँ : यह वृद्धि (141.09 प्रतिशत) मुख्य रूप से विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से ब्याज के रूप में अधिक प्राप्ति एवं अन्य प्राप्तियों के कारण हुई।

विविध सामान्य सेवाएँ : यह कमी वर्ष 2009–10 के लिए ₹ 384.93 करोड़ के कर्ज माफी को वित्तीय वर्ष 2011–12 में वापस लिए जाने तथा पंचायती राज्य अधिनियम एवं अन्य प्राप्तियों के तहत कम प्राप्ति के कारण हुई।

माँगे जाने (मई एवं सितंबर 2012 के बीच) के बावजूद, अन्य विभागों ने भिन्नता के कारणों को सूचित नहीं किया (जनवरी 2013)।

[3] प्रतिशत नहीं दर्शाया गया क्योंकि यह अव्यवहारिक है।

1.2 बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नताएँ

वर्ष 2011–12 के लिए कर एवं कर भिन्न राजस्व के मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों के बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नताएँ नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नताएँ वृद्धि (+) या ह्रास (–)	प्रतिशतता
•	**कर राजस्व**				
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,508.00	7,476.36	(+) 968.36	(+) 14.88
2.	राज्य उत्पाद	1,790.00	1,980.98	(+) 190.98	(+) 10.67
3.	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	1,600.00	1,480.07	(–) 119.93	(–) 7.50
4.	वाहनों पर कर	537.00	569.13	(+) 32.13	(+) 5.98
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	60.70	54.69	(–) 6.01	(–) 9.90
6.	भू–राजस्व	125.20	167.49	(+) 42.29	(+) 33.78
7.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	20.98	25.52	(+) 4.54	(+) 21.64
8.	माल एवं यात्रियों पर कर	1,940.00	828.30	(–) 1,111.70	(–) 57.30
•	**कर भिन्न राजस्व**				
1.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	280.00	443.10	(+) 163.10	(+) 58.25
2.	वानिकी एवं वन्य जीव	8.00	11.04	(+) 3.04	(+) 38.00
3.	ब्याज प्राप्तियाँ	370.82	573.70	(+) 202.88	(+) 54.71
4.	मध्यम सिंचाई	4.00	17.59	(+) 13.59	(+) 339.75

(श्रोतः राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ (विस्तृत); वित्त लेखे, बिहार सरकार)

वाणिज्य–कर विभाग ने वर्ष 2011–12 के दौरान बजट अनुमान की तुलना में बिक्री, व्यापार आदि पर कर के संग्रहण में वृद्धि (14.88 प्रतिशत) का कारण, अनुसूची–III में शामिल वस्तुओं का कर दर चार से पाँच प्रतिशत तथा किसी भी अनुसूची में शामिल नहीं वस्तुओं का कर दर 12.5 से 13.5 प्रतिशत बढ़ाए जाने को ठहराया।

माँगे जाने (मई एवं सितंबर 2012 के बीच) के बावजूद, अन्य विभागों ने भिन्नता के कारणों को सूचित नहीं किया (जनवरी 2013)।

1.3 संग्रहण की लागत

वर्ष 2011–12 की अवधि में मुख्य राजस्व प्राप्तियों का सकल संग्रहण, उस संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण से ऐसे व्यय की प्रतिशतता के साथ–साथ वर्ष 2010–11 में संग्रहण पर व्यय की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता नीचे दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	राजस्व शीर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण से व्यय की प्रतिशतता	2010–11 के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
1.	वाणिज्य–कर[4]	8,414.43	66.17	0.79	0.75
2.	राज्य उत्पाद	1,980.98	41.24	2.08	3.05
3.	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	1,480.07	43.10	2.91	1.60
4.	वाहनों पर कर	569.13	22.31	3.92	3.71

(श्रोतः वित्त लेखे, बिहार सरकार)

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाता है कि राज्य उत्पाद के मामले को छोड़कर वर्ष 2011–12 में सभी करों के संग्रहण पर किए गए व्यय की प्रतिशतता, वर्ष 2010–11 के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से अधिक थी।

संग्रहण की लागत में कमी लाने हेतु सरकार को उपयुक्त कदम उठाने की आवश्यकता है।

1.4 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

विभागों द्वारा यथा प्रतिवेदित प्रमुख शीर्षों से संबंधित 31 मार्च 2012 को बकाया राजस्व ₹ 1,448.90 करोड़ था, जिसमें से ₹ 379.96 करोड़[5] पाँच वर्षों से अधिक समय से लम्बित थे, जिनका ब्योरा नीचे की तालिका में दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2012 को बकाया राशि	पाँच वर्षों से अधिक पुराना बकाया राशि	संग्रहण पर व्यय
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,186.98	372.60	₹ 1,186.98 करोड़ में से ₹ 320.63 करोड़ की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे। ₹ 257.29 करोड़ एवं ₹ 13.10 करोड़ की वसूली पर क्रमशः न्यायालय तथा सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी। ₹ 595.96 करोड़ रुपये अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
2.	विद्युत पर कर तथा शुल्क	2.50	1.76	₹ 2.50 करोड़ में से ₹ 2.19 करोड़ की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे। ₹ 8.22 लाख की वसूली पर सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी तथा ₹ 23.01 लाख अन्य स्थितियों में लम्बित थे।

[4] वाणिज्य–कर विभाग के सकल संग्रहण में बिक्री, व्यापार आदि पर कर, माल एवं यात्रियों पर कर, विद्युत पर कर एवं शुल्क, आय एवं व्यय पर अन्य कर–पेशा, व्यापार, आजीविका एवं रोजगार पर कर तथा वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क शामिल है।

[5] जल दर (मध्यम सिंचाई) को छोड़ कर, जिसका ब्योरा विभाग द्वारा नहीं भेजा गया है।

3.	माल एवं यात्रियों पर कर (प्रवेश कर)	16.51	2.77	₹ 16.51 करोड़ में से ₹ 1.30 करोड़ की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे। ₹ 4.50 करोड़ की वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई थी तथा ₹ 10.71 करोड़ अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
4.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर (मनोरंजन कर)	10.43	2.83	₹ 10.43 करोड़ में से ₹ 9.26 करोड़ की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे। ₹ 23.26 लाख की वसूली पर न्यायालय तथा सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी तथा ₹ 93.95 लाख अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
5.	मध्यम सिंचाई (जल दर)	232.48	उपलब्ध नहीं कराया गया	संग्रहण के लिए लम्बित बकायों की स्थितियों की माँग(मई एवं सितम्बर 2012) किए जाने के बावजूद सूचित नहीं किए गए (जनवरी 2013)।
कुल		**1,448.90**	**379.96**	

वर्ष 2011–12 के अंत में अन्य [6] विभागों से राजस्व के बकायों की स्थितियों की माँग (मई एवं सितंबर 2012 के बीच) किए जाने के बावजूद सूचित नहीं किए गए (जनवरी 2013)।

1.5 कर का अपवंचन

वाणिज्य–कर विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन के मामले, निष्पादित मामले एवं सृजित माँग का विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा प्रतिवेदित किए गए थे, नीचे दिये गए हैं:

विभाग का शीर्ष	31 मार्च 2011 को बकाये मामले	वर्ष 2011–12 के दौरान पता लगाए गए मामले	योग	मामलों की संख्या जिनका निर्धारण/अनुसंधान पूरा किया गया तथा वर्ष 2011–12 के दौरान अर्थदण्ड इत्यादि सहित सृजित अतिरिक्त माँग		31 मार्च 2012 तक लम्बित मामलों की संख्या
				मामलों की सं0	राशि (₹ लाख में)	
वाणिज्य–कर विभाग	64	163	227	38	662.52	189

माँगे जाने (मई एवं सितंबर 2012 के बीच) के बावजूद, अन्य विभागों ने कर का अपवंचन का विवरण उपलब्ध नहीं कराया (जनवरी 2013)।

1.6 वापसी

वर्ष 2011–12 के आरम्भ में वापसी से संबंधित लम्बित मामलों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान दी गई वापसी की अनुमति तथा वर्ष के अंत में (मार्च 2012) लम्बित मामले, जैसा कि वाणिज्य–कर विभाग द्वारा सूचित किए गए थे, नीचे दिये गए हैं :

6 निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (उत्पाद), परिवहन, राजस्व एवं भूमि सुधार एवं खान एवं भूतत्व।

(₹ लाख में)

क्रम सं0	ब्योरे	बिक्री, व्यापार आदि पर कर		प्रवेश कर		मनोरंजन कर	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के आरम्भ में बकाया दावे	2,310	10,699.27	103	96.74	6	2.00
2.	वर्ष की अवधि में प्राप्त दावे	92	1,225.43	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	वर्ष की अवधि में की गई वापसी	1,019	3,698.61	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	वर्ष के अंत में बकाया शेष	1,383	8,226.09	103	96.74	6	2.00

1.7 लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया

1.7.1 उत्तरदायित्वों को लागू करने एवं राज्य सरकार के हितों को सुरक्षित रखने में वरीय पदाधिकारियों की विफलता

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, लेन–देन की नमूना जाँच तथा महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों की विहित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार संधारण की जाँच हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। उन निरीक्षणों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के रूप में, जिनमें निरीक्षण के दौरान पाई गई तथा स्थल पर समाधानित नहीं की जा सकी अनियमितताओं को सम्मिलित किया जाता है, जिसे निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों एवं अगले उच्चतर प्राधिकारियों को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु प्रतियाँ भेजी जाती है। कार्यालय प्रमुखों/सरकार को निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अवलोकनों का अनुपालन तथा त्रुटियों और चूकों का सुधार कर निरीक्षण प्रतिवेदन भेजे जाने के एक महीने के अन्दर प्रधान महालेखाकार को प्रारंभिक उत्तर के माध्यम से अनुपालन प्रतिवेदन भेजा जाना अपेक्षित है। गंभीर वित्तीय अनियमितताएँ विभागों के अध्यक्षों एवं सरकार को प्रतिवेदित की जाती है।

दिसम्बर 2011 तक निर्गत किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा से स्पष्ट था कि जून 2012 के अंत तक 3,858 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित ₹ 8,754.19 करोड़ से सन्निहित 20,979 कंडिकाएँ लंबित थीं, जैसा कि विगत दो वर्षों के तत्सबंधी आँकड़ों के साथ नीचे दी गई है:

	जून 2010	जून 2011	जून 2012
बकाए निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	4,150	4,259	3,858
लंबित कंडिकाओं की संख्या	21,968	22,364	20,979
सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)	7,876.02	10,404.30	8,754.19

30 जून 2012 तक बकाए निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं की विभागवार विवरणी तथा सन्निहित राशि निम्न सारणी में दी गई है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विभाग	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाये निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाये लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि
1.	वाणिज्य–कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	588	6,051	4,014.49
		प्रवेश कर	143	322	74.06
		विद्युत शुल्क	21	25	16.74
		मनोरंजन कर, विलासिता कर आदि	13	21	0.61
2.	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (उत्पाद)	राज्य उत्पाद	412	2,021	1,208.96
3.	राजस्व एवं भूमि सुधार	भू–राजस्व	1,437	6,245	945.27
4.	परिवहन	वाहनों पर कर	470	3,170	1,205.51
5.	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (निबंधन)	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	437	1,191	169.96
6.	खान एवं भूतत्व	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	337	1,933	1,118.59
कुल			**3,858**	**20,979**	**8,754.19**

यहाँ तक कि दिसम्बर 2011 तक निर्गत किए गए 1,317 निरीक्षण प्रतिवेदनों के संबंध में प्रथम उत्तर, जिन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत होने के एक माह के अन्दर कार्यालय अध्यक्षों से प्राप्त होना अपेक्षित था, प्राप्त नहीं हुए थे। उत्तरों की अप्राप्ति के कारण निरीक्षण प्रतिवेदनों का यह वृहद् विलम्बन, यह संसूचित करता है कि कार्यालयाध्यक्षों तथा विभागाध्यक्षों ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में प्रधान महालेखाकार द्वारा इंगित की गयी त्रुटियों, चूकों एवं अनियमितताओं को सुधारने की कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की।

हम यह अनुशंसा करते हैं कि लेखापरीक्षा अवलोकनों के शीघ्र एवं उपयुक्त उत्तर भेजने हेतु सरकार एक प्रभावकारी प्रक्रिया की स्थापना के लिए उपयुक्त कदम उठाये। निर्धारित समय सूची के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं के उत्तर भेजने तथा समयबद्ध तरीके से हानि/बकाया माँग वसूल करने में विफल रहे कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु भी विचार कर सकती है।

1.7.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों की कंडिकाओं के शीघ्र निष्पादन की प्रगति एवं अनुश्रवण करने के लिए सरकार ने लेखापरीक्षा समितियों (विभिन्न अवधियों के दौरान) का गठन किया। वर्ष 2011–12 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं के निष्पादन हेतु सरकार नियमित अंतराल पर विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के आयोजन हेतु उपयुक्त कदम उठा सकती है।

1.7.3 प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया

मुख्य सचिव, बिहार सरकार ने सभी विभागों को निर्देश निर्गत (अगस्त 1967) किया था कि भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में समावेशित किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर अपनी प्रतिक्रिया छः सप्ताह के अन्दर भेजें। लेखा परीक्षा एवं लेखा विनियम की कंडिका 207 (1) के अनुसार प्रधान महालेखाकार प्रारूप कंडिकाओं को अर्द्धशासकीय पत्रों के माध्यम से संबंधित विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा अवलोकनों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करते हुए छः सप्ताह के भीतर उनका उत्तर भेजने हेतु अनुरोध करते हुए अग्रसारित करते हैं। विभागों से उत्तर की अप्राप्ति के तथ्यों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक कंडिका के अंत में निरपवाद रूप से दर्शाया जाता है।

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के इस प्रतिवेदन में सम्मिलित 37 प्रारूप कंडिकाओं तथा एक निष्पादन लेखापरीक्षा को संबंधित विभागों के सचिवों को जुलाई और अक्टूबर 2012 के बीच अर्द्धशासकीय पत्रों के माध्यम से अग्रसारित किया गया था।

प्रधान सचिव, वाणिज्य–कर विभाग ने निष्पादन लेखापरीक्षा का आंशिक उत्तर भेजा एवं विभाग ने तीन प्रारूप कंडिकाओं का उत्तर एवं छः प्रारूप कंडिकाओं का आंशिक उत्तर भेजा। निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (उत्पाद) विभाग के आयुक्त–सह–सचिव ने एक प्रारूप कंडिका का आंशिक उत्तर भेजा तथा परिवहन विभाग ने एक प्रारूप कंडिका का उत्तर तथा तीन प्रारूप कंडिकाओं का आंशिक उत्तर भेजा। शेष प्रारूप कंडिकाओं में विभागों के उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (जनवरी 2013)।

1.7.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

वित्त विभाग, बिहार सरकार के अनुदेशों की हस्तक (1998) के अनुसार संबंधित विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल लेखापरीक्षा कंडिकाओं तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणी विधानसभा सचिवालय को प्रस्तुत करना है। ऐसी टिप्पणियाँ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने के तिथि से दो माह के भीतर लोक लेखा समिति के सूचना की प्रतीक्षा किए बिना प्रस्तुत करना है।

हमने स्थिति की समीक्षा की एवं पाया कि नवंबर 2012 तक 10 विभागों द्वारा वर्ष 1990–91 एवं 2010–11 के बीच के वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित 71 कंडिकाओं के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणी पुनरीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। विलम्ब की अवधि एक माह से लेकर 18 वर्षों से अधिक तक थी, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

क्रम सं0	विभाग	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	माह, जिसमें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधानमंडल में प्रस्तुत किया गया	माह, जिसमें विभागीय टिप्पणियाँ बकाये हुए	कंडिकाओं की संख्या जो विभागीय टिप्पणियों के लिए बकाये थे	विलम्ब (माह में)
1.	वित्त	2004–05	मार्च 2006	मई 2006	1	78
2.	वाणिज्य–कर	2005–06 से 2010–11	जुलाई 2007 से अगस्त 2012	सितम्बर 2007 से अक्टूबर 2012	34	1 से 62
3.	निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध (उत्पाद)	1990–91, 1999–2000, 2010–11	मार्च 1994, मार्च 2002, अगस्त 2012	मई 1994, मई 2002, अक्टूबर 2012	3	1 से 222

4.	राजस्व एवं भूमि सुधार	2004–05 से 2005–06, 2008–09	मार्च 2006 से जुलाई 2007, जुलाई 2010	मई 2006 से सितम्बर 2007, सितम्बर 2010	4	26 से 78
5.	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (निबंधन)	2003–04, 2008–09, 2010–11	दिसम्बर 2005, जुलाई 2010, अगस्त 2012	फरवरी 2006, सितम्बर 2010, अक्टूबर 2012	5	1 से 81
6.	परिवहन	2000–01, 2010–11	दिसम्बर 2003, अगस्त 2012	फरवरी 2004, अक्टूबर 2012	7	1 से 105
7.	वन एवं पर्यावरण	2005–06 से 2007–08	जुलाई 2007 से जुलाई 2009	सितम्बर 2007 से सितम्बर 2009	6	14 से 62
8.	जल संसाधन	1995–96, 1997–98, 2005–06 से 2010–11	मार्च 1997, अगस्त 1999, जुलाई 2007 से अगस्त 2012	मई 1997, अक्टूबर 1999, सितम्बर 2007 से अक्टूबर 2012	9	1 से 174
9.	शहरी विकास	1997–98	अगस्त 1999	अक्टूबर 1999	1	157
10.	पथ निर्माण विभाग	2010–11	अगस्त 2012	अक्टूबर 2012	1	1
कुल					**71**	

व्याख्यात्मक टिप्पणी को प्रस्तुत करने में विलम्ब इस बात का द्योतक है कि कार्यालयों/विभागों के अध्यक्षों ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों, जिसमें अवसूलित राजस्व की काफी राशि सन्निहित थी, पर त्वरित कार्रवाई नहीं की, इनमें से कुछ की वसूली अब कालातीत हो सकती है।

1.7.5 पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

वर्ष 2006–07 एवं 2010–11 के दौरान विभागों/सरकार ने ₹ 1,439.91 करोड़ से सन्निहित लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया, जिसमें से 31 मार्च 2012 तक मात्र ₹ 3.57 करोड़ की ही वसूली हुई थी जैसाकि नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सन्निहित राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि
2006–07	206.42	61.40	0.82
2007–08	523.80	417.49	1.48
2008–09	838.92	709.78	0.02
2009–10	977.82	96.16	0.04
2010–11	893.61	155.08	1.21
कुल	**3,440.57**	**1,439.91**	**3.57**

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाता है कि स्वीकृत मामलों में वसूली (0.25 प्रतिशत), स्वीकृत राशि की तुलना में बहुत ही कम थी।

सरकार को चाहिए कि कम से कम स्वीकृत मामलों में सन्निहित राशि की शीघ्र वसूली हेतु आवश्यक कदम उठाए।

1.8 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों से संबंधित क्रिया–विधि का विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों के निराकरण से संबंधित क्रिया–विधि के विश्लेषण के क्रम में **निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (उत्पाद)** से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर सरकार/विभागों द्वारा की गई कार्रवाईयों का मूल्यांकन किया गया। विगत दस वर्षों के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा के क्रम में पाए गए मामलों के साथ विभाग की क्रिया–विधि एवं वर्ष 2001–02 से 2010–11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाहित मामलों की समीक्षा अनुवर्ती कंडिकाएँ 1.8.1 एवं 1.8.2 में उल्लिखित है:

1.8.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

नवम्बर 2012 तक विगत दस वर्षों के दौरान निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं इन प्रतिवेदनों में समाहित कंडिकाओं की सारांशित स्थिति नीचे सारणी में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निष्पादन			वर्ष के दौरान अंत शेष		
	नि0 प्र0	कंडिका	राशि	नि0 प्र0	कंडिका	राशि	नि0 प्र0	कंडिका	राशि	नि0 प्र0	कंडिका	राशि
2001–02	116	733	28.37	20	195	40.15	शून्य	शून्य	शून्य	136	928	68.52
2002–03	136	928	68.52	28	91	0.13	शून्य	शून्य	शून्य	164	1,019	68.65
2003–04	164	1,019	68.65	20	106	4.56	शून्य	शून्य	शून्य	184	1,125	73.21
2004–05	184	1,125	73.21	35	175	43.23	शून्य	शून्य	शून्य	219	1,300	116.44
2005–06	219	1,300	116.44	34	165	149.33	शून्य	शून्य	शून्य	253	1,465	265.77
2006–07	253	1,465	265.77	27	108	86.23	11	77	15.28	269	1,496	336.72
2007–08	269	1,496	336.72	30	126	109.98	शून्य	शून्य	शून्य	299	1,622	446.70
2008–09	299	1,622	446.70	21	48	20.29	शून्य	शून्य	शून्य	320	1,670	466.99
2009–10	320	1,670	466.99	42	168	346.15	1	12	11.05	361	1,826	802.09
2010–11	361	1,826	802.09	42	161	349.44	शून्य	4	0.10	403	1,983	1,151.43

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं के अत्यधिक संचयन को देखते हुए लंबित कंडिकाओं (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन), निष्पादन लेखापरीक्षा माननीय न्यायालय में लंबित मामलों तथा गबन से संबंधित मामलों, जिसमें लोक लेखा समिति/माननीय न्यायालयों का अंतिम निर्णय बाकी है, को छोड़कर वर्ष 1995–96 तक के निरीक्षण प्रतिवेदनों और कंडिकाओं के निष्पादन की जिम्मेदारी विभागों पर छोड़ दिया गया था (अगस्त 2006)।

1.8.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उठाए गए मुद्दों पर सरकार/विभाग द्वारा दिए गए आश्वासन

1.8.2.1 स्वीकृत मामलों में वसूली

विगत दस वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाहित कंडिकाएँ एवं विभाग द्वारा स्वीकृत मामले की स्थिति नीचे वर्णित है:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित कंडिकाओं की सं0	कंडिकाओं में सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)	स्वीकृत कंडिकाओं की सं0	स्वीकृत कंडिकाओं में सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)	विभाग द्वारा प्रतिवेदित मामलों में की गई वसूली की स्थिति (₹ लाख में)
2001–02	4	23.96	3	8.60	118.21
2002–03	1	78.95	1 आंशिक	0.49	153.64
2003–04	5	6.08	शून्य	शून्य	20.00
2004–05	3	11.65	शून्य	शून्य	शून्य
2005–06	3	26.91	शून्य	शून्य	शून्य
2006–07	9	80.86	1	0.88	3.13
2007–08	4	53.85	शून्य	शून्य	35.88
2008–09	2	123.57	शून्य	शून्य	शून्य
2009–10	1	105.68	1 आंशिक	10.72	3.02
2010–11	1	4.35	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	**33**	**515.86**	**6**	**20.69**	**333.88 या ₹ 3.34 करोड़**

उपरोक्त सारणी दर्शाता है कि वर्ष 2001–02 से 2010–11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल 33 कंडिकाओं में सन्निहित ₹ 515.86 करोड़ राशि में से सरकार/विभाग ने ₹ 20.69 करोड़ से सन्निहित छः (दो आंशिक) कंडिकाओं को स्वीकार किया जिसके विरूद्ध मात्र ₹ 3.34 करोड़ (16.14 प्रतिशत) की वसूली की जा सकी।

सरकार/विभाग स्वीकार किये गये मामलों में सन्निहित सरकारी राजस्व की वसूली के लिए प्रभावकारी कदम उठा सकती है।

1.8.2.2 विभाग/सरकार द्वारा स्वीकृत अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई

प्रधान महालेखाकार द्वारा किए गए निष्पादन लेखापरीक्षाओं को संबंधित विभागों/सरकार को उनसे उत्तर प्राप्त करने के लिए अनुरोध के साथ उनको सूचनार्थ अग्रसारित किया जाता है। इन निष्पादन लेखापरीक्षाओं के प्रतिवेदनों पर अन्तिम सम्मेलन (एक्जिट कन्फरेंस) में भी विचार विमर्श किया जाता है और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए निष्पादन लेखापरीक्षाओं को अंतिम रुप देने के समय विभागों/सरकार के मंतव्यों को समाहित किया जाता है।

राज्य उत्पाद विभाग की प्राप्तियों पर वर्ष 2002–03 एवं 2009–10 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में आठ अनुशंसाओं से समाहित दो निष्पादन लेखापरीक्षाएँ शामिल थी। अनुशंसाओं की स्वीकृति से संबंधित सूचना और उनपर की गई कार्रवाई के संबंध में हमलोग उत्तर की प्रतीक्षा में हैं (अगस्त 2012) जैसा कि नीचे उल्लेखित है:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षाओं का नाम	अनुशंसाओं की संख्या
2002–03	राज्य उत्पाद विभाग का कार्यकलाप	3
2009–10	राज्य उत्पाद राजस्व का आरोपण एवं संग्रहण	5

1.9 लेखापरीक्षा योजना

राजस्व की स्थिति, पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा अवलोकनों की प्रवृत्ति एवं अन्य मापदंडों के अनुसार विभिन्न विभागों के अंतर्गत इकाई कार्यालयों को उच्च, मध्यम एवं निम्न जोखिम

वाले ईकाइयों में वर्गीकृत किया गया है। जोखिम के विश्लेषण जिसमें सरकार के राजस्व और कर प्रशासन के विवेचनात्मक विषयों जैसे, बजट भाषण, राज्य वित्त पर श्वेतपत्र, वित्त आयोग के प्रतिवेदनों (राज्य एवं केन्द्र), कराधान सुधार समितियों की अनुशंसाओं, विगत पाँच वर्षों के राजस्व आय का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन की विशेषताएँ, लेखापरीक्षा का क्षेत्र और विगत पाँच वर्षों के दौरान उसके प्रभाव आदि शामिल हैं, के आधार पर वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार किया जाता है।

वर्ष 2011–12 के दौरान सम्पूर्ण लेखापरीक्षा क्षेत्र में 951 लेखापरीक्षा योग्य ईकाइयाँ थी, जिसमें से हमने 185 ईकाइयों का लेखापरीक्षा किया जिसका वर्णन नीचे है:

क्रम सं0	राजस्व के मुख्य शीर्ष	ईकाइयों की कुल संख्या	लेखापरीक्षित ईकाइयों की संख्या
1	वाणिज्य–कर	55	40
2	राज्य उत्पाद	49	24
3	वाहनों पर कर	48	34
4	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	139	33
5	भू–राजस्व	612	29
6	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	48	25
कुल		**951**	**185**

ऊपर वर्णित अनुपालन लेखापरीक्षा के अलावा हमने एक निष्पादन लेखापरीक्षा **"वाणिज्य–कर विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली"** कर प्रशासन के प्रभावशीलता को जाँचने के लिए किया जो इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाया गया है।

1.10 लेखापरीक्षा के परिणाम

1.10.1 वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2011–12 के लिए हमने वाणिज्य कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग तथा अन्य विभागीय कार्यालयों के 185 ईकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच किया और 1,816 मामलों में सन्निहित ₹ 1,369.51 करोड़ के राजस्व का अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि का अवलोकन किया। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने 499 मामलों में सन्निहित राशि ₹ 246.47 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, जिसमें से वर्ष 2011–12 के लेखापरीक्षा के क्रम में 88 मामलों में सन्निहित राशि ₹ 24.89 करोड़ और शेष पूर्व के वर्षों से संबंधित थे। विभागों ने वर्ष 2011–12 के दौरान 47 मामलों में ₹ 2.32 करोड़ की वसूली की।

1.10.2 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में कर, शुल्क, ब्याज एवं अर्थदण्ड आदि का आरोपण नहीं किए जाने/कम आरोपित किए जाने से संबंधित ₹ 568.99 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले 37 कंडिकाएँ (उपरोक्त संदर्भित वर्ष एवं पूर्ववर्ती वर्षों में किए गए स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए लेखापरीक्षा परिणामों जिन्हें पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में समाहित नहीं किए जा सके थे, से चयनित) और **'वाणिज्य–कर विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली'** पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल है। विभागों/सरकार ने ₹ 64.94 करोड़ से सन्निहित लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 47.05 लाख की वसूली की गई। इन कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षा को अनुवर्ती अध्याय II से VI में चर्चा की गई है।